I/44236/2021

संख्या- 819/अरसठ-4-2020-819/2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषयः-ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में मध्यान्ह् भोजन योजना के प्रभावी संचालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-63/2020/2990/33-3-2020-62/2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दी गई व्यवस्था निम्नवत् हैः-

''ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 के पश्चात् संगठित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तिथि तक, अथवा अधिकतम छः माह की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, सहायक विकास अधिकारी से अन्यून अधिकारी के उस विकास खण्ड की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के लिए प्रशासक नियुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।''

2- सामान्यतः मध्यान्ह् भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तरीय खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है और सामान्य निर्वाचन 2021 के परिप्रेक्ष्य में मध्यान्ह् भोजन योजना के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला समूहों, नेहरू युवा केन्द्र अथवा अभिभावक संघों (विद्यालय प्रबन्ध समिति) के द्वारा मध्यान्ह् भोजन के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या-63/2020/ 2990/33-3-2020-62-2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 के क्रम में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने की दशा में अभिभावक संघों के माध्यम से मध्यान्ह् भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिसमें स्पष्ट रूप से यह भी अंकित किया जाय कि सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के पास उपलब्ध खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि तत्काल प्राप्त कर ली जाय।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।